राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खैरवाडा

जिला – उदयपुर (राज0)

ग्रामीण सेवा शिविर–2025

कैम्पः–ग्रामीण सेवा शिविर–2025

–:: आदेश ::–

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल– ....**बन्जारिया**..... व भू – अभिलेख निरीक्षक, वृत्त– ....**खैरवाडा**..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **खैरवाडा** की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम– .. **परबीला**

..... पटवार मण्डल– ....**बन्जारिया** ..... तहसील– **खैरवाडा** जिला – **उदयपुर** की जमाबन्दी संवत–, ...**2075–2078**..... में खाता संख्या–**113**..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं –

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
परबीला	**113**	**the bank of rajasthan Li**	**icici**

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा
जिला – उदयपुर (राज0)

क्रमांक :– **सेवा शिविर–2025/47/2025/1500–1528** दिनांक :–**18.09.2025**

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी श्री ..... **जीवतराम पुत्र भीमचन्द**..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा
जिला – उदयपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner